सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 191   राँची, बुधवार, 1 चैत्र, 1938 (श०) / 22 मार्च, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

13 दिसम्बर, 2016

विषय: ''बागाल/खण्डवाल'' जाति की समजातियों यथा खन्डवाल/खन्डुआल/खुन्डवाड/खण्डईत / खण्डाईत / खन्डाईत/खन्डाइत/खंडाईत/खन्डइत/खंडयत/खन्डायत/खण्डाएत/खण्डाईयत/खन्डेत/खन्डैत/खन्डैयत/खैन्डेयत /खैन्डायत/खंडवत/खंडाल को राज्य के अत्यन्त पिछड़ें वर्गो की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-113 पर दर्ज ''बागाल/खण्डवाल'' के साथ कोष्टक में शामिल करने के सम्बन्ध में ।

संख्या-14/जा०नि०-19-09/2005का.- 10564 -- झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचितजातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ें वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में

अत्यन्त पिछड़ें वर्गों एवं पिछड़ें वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है ।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14(अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है ।

3. पिछड़ें वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/ परामर्श कि'' झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ी जाति की सूची(अनुसूची-1) के क्रमांक-113 में दर्ज ''बागाल/खण्डवाल'' जाति के साथ ''बागाल/खण्डवाल'' की समजातियाँ खन्डवाल/ खन्डुआल/ खुन्डवाड/ खण्डईत/ खण्डाईत/ खन्डाईत/खन्डाइत/खंडाईत/खन्डइत/खंडयत/खन्डायत/खण्डाएत/खण्डाईयत/खन्डेत/खन्डैत/खन्डैयत/खैन्डेयत /खैन्डायत/खंडवत/खंडाल) को कोष्टक में शामिल किया जाय'' के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ें वर्गो की सूची(अनुसूची-1) के क्रमांक 113 को निम्न रूपेण परिवर्द्धित की जायः-

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है:-

क्रमांक-113-

''बागाल/खण्डवाल''(खन्डवाल/खन्डुआल/खुन्डवाड/खण्डईत/खण्डाईत/खन्डाईत/खन्डाइत/खंडाईत/खन्डइत/ खंडयत/खन्डायत/खण्डाएत/खण्डाईयत/खन्डेत/खन्डैत/खन्डैयत/ खैन्डेयत/खैन्डायत/खंडवत/खंडाल)।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

निधि खरे,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 191--50